

प्रेषक,
अरविन्द कुमार,
प्रमुखसचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूखे से प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-378/दैवी आपदा/धनावंटन/2016-17, दिनांक 05.08.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिये जीवन निर्वाह हेतु पूर्व में दी गयी अहैतुक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) जिलाधिकारी चित्रकूट के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम, पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1	चित्रकूट, पत्र संख्या-378/दैवी आपदा/धनावंटन/2016-17, दिनांक 05.08.2016	1,00,00,000/-
	(रुपये एक करोड़ मात्र)	1,00,00,000/-

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-01 सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दर निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अनुपालन अवश्य किया जाये।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

5- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

6- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

7- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- 1015 (1)/1-10-2016. तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व 30प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-20/09/2016

प्रेषण संख्या:- 078
 आवंटन आदेश संख्या:- 078-33
 अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
 800 - अन्य व्यय
 06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
 01 - सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
 (धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 95000000	10000000 95000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 95000000	10000000 95000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया एक करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया नौ करोड़ पचास लाख

(शिव सम)
 (शिवराम)
 वरिष्ठ सिल्लेदार लेखाधिकारी
 राहत आयुक्त संगठन
 उ०प्र० शासन